मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2011–12

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2011–12

मंत्री	श्री बाबूलाल गौर
राज्यमंत्री	श्री मनोहर ऊँटवाल
प्रमुख सचिव	श्री एस.पी.एस. परिहार
सचिव	श्री संजय कुमार शुक्ल
उप सचिव	श्री के.के. कातिया
अवर सचिव	श्री एच.के. शर्मा
	श्री ओ.पी. सोनी

प्रस्तावना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2011–12 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है ।

(एस.पी.एस.परिहार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2011–12

–: विषय सूची :–

क.	भाग	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	एकः विभागीय संरचना	1. विभाग की प्रशासनिक संरचना	
		2. नगरीय स्थानीय निकाय	
		3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	
		4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
2.	दोः बजट विहंगावलोकन	1. बजट विहंगावलोकन	
3.	तीन : राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं		
	(अ) राष्ट्रीय योजनाएं	1. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM)	
		2. एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)	
		3. राजीव आवास योजना (RAY)	
		4. छोटे एवं मझोले नगरो के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)	
		5. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)	
	(ब) प्रादेशिक योजनाएं	1. हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009	
		2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009	
		3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना,2012	
	(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	1. एशियाई विकास बैंक सहायित – शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय)	
		2. मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान)	
	(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम	1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान	
		2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि	
		3. म.प्र.शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)	
		4. म.प्र. प्रापर्टी टेक्स बोर्ड	
		5. एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम	
		6. नगर विकास योजना	
		7. रैनबसेरा	
		8. रामरोटी योजना	
		9. सिंहस्थ 2016	
		10. करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना	

	(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं	1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना	
		2. परिभाषित पेंशन अंशदान योजना	
		3. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण योजना	
		4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना	
4	**चार : अन्य प्रशासनिक विषय**	1. विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों /कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम	
		2. सूचना प्रौद्योगिकी	
		3. वीडियो कांफ्रेसिंग	
		4. ऑन लाईन मनी ट्रांसफर	
		5. नगरीय निकायों के निर्वाचन	
		6. विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां तथा स्थानांतरण	
		7. नगरीय निकायों का अंकेक्षण	
		8. विधि विषयक कार्य	
5	**परिशिष्ट**	**एक** : नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का स्वीकृत प्रशासकीय अमला	
		दो : प्रदेश की नगरीय निकायों की संभाग/ जिलेवार सूची	
		तीन : वर्ष 2011–12 का बजट प्रावधान तथा व्यय	
		चार : जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम	
		पांच : जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनायें	
		छह : आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाये	
		सातः यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	
		आठ : हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की अद्यतन स्थिति का विवरण	
		नौ : ''परियोजना उदय'' के अंतर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	
		दस : म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवायें कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अंतर्गत संपन्न कार्य	

भाग–एक

विभागीय संरचना

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है:–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन एक उप सचिव तथा दो अवर सचिव के पद हैं।

1.2 विभागाध्यक्ष कार्यालय

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है ।

1.3 संभागीय कार्यालय

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर उप संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं।

संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये कार्यपालन यंत्रियों के कार्यालय भी स्थापित हैं। संभागीय कार्यपालन यंत्रियों के कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए इंदौर तथा जबलपुर में क्षेत्रीय अधीक्षण यंत्री पदस्थ हैं।

1.4 राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इसके उपाध्यक्ष मनोनीत हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

1.5 जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

1.6 विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

2. नगरीय स्थानीय निकाय

2.1 प्रदेश में कुल 377 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	14
2	नगरपालिका परिषद	100
3	नगर परिषद	263
	योग	377

2.2 वर्ष 2011–12 में प्रदेश में कुल 17 नई नगर परिषदों का गठन किया गया है एवं 04 नगर परिषदों का उन्नयन नगर पालिका परिषद में किया गया है ।

2.3 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011

3.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। इन निकायों के गठन, कार्य संपादन, शक्तियों एवं दायित्वों तथा अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए राज्य विधायिका द्वारा नगरपालिक निगमों के लिये म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों के लिये म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 अधिनियमित किये गये हैं।

3.3 प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी हैं। विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है।

3.4 नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

3.4 संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ विधान सभा के पटल पर रखने हेतु मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है ।

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण ।

(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन, अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय।

(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन।

(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन।

(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम।

(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रो में मेले।

(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।

(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा कियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाऐं।

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य कियाकलापों में संशोधन।

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनायें तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना ।

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापनाऐं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही।

(12) JNNURM, UIDSSMT, IHSDP योजनाओं का क्रियान्वयन ।

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन।

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजना का क्रियान्वयन।

(15) शहरी स्वच्छता मिशन।

(16) म.प्र.शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन।

(17) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड का प्रशासन।

(18) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन।

(19) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(20) शहरी अधोसंरचना ।

(21) शहरी गरीबों के लिये आवास ।

(22) शहरी पेयजल ।

(23) आग की रोकथाम ।

————————

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए वर्ष 2011–12 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 364005.74 लाख का प्रावधान हुआ था । उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2011–12 में जनवरी, 2012 तक कुल रूपये 244883.81 लाख का व्यय हुआ ।

2. माह जनवरी, 2012 तक उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेत्तर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक) एवं परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है ।

3. विभागीय बजट में आयोजना मद के अंर्तगत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग से कियान्वित एशियाई विकास बैंक सहायित परियोजना तथा डी.एफ.आई. डी. द्वारा वित्त पोषित म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवायें परियोजना के लिए प्रावधान किए गए हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निकायों को देय अनुदान का प्रावधान भी इसी मद के अंतर्गत रखा गया है ।

4. आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्रीकर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं ।

———————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM)

1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :–

1. इंदौर
2. भोपाल
3. जबलपुर
4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)

1.2 मिशन के अंतर्गत इन्दौर, भोपाल तथा जबलपुर शहरों के लिये परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है जिसके विरूद्व राज्यांश 20 प्रतिशत एवं निकाय अंश 30 प्रतिशत देय होता है । उज्जैन शहर के लिए 80:10:10 के अनुपात में केन्द्रांशः राज्यांशः निकाय अंश की व्यवस्था रखी गई है ।

1.3 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके कियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और सुधार कार्यकमों के कियान्वयन की समीक्षा के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय परिचालन समिति** गठित है । इसके साथ ही मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय साधिकार समिति** का गठन भी किया गया है ।

1.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जेएनएनयूआरएम के लिए **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है ।

1.5 विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2010 से स्थानीय स्तर पर मिशन के अंतर्गत कार्यो की समीक्षा के लिए सबंधित जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है ।

1.6 भारत सरकार द्वारा मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** अनुमोदित किये गये हैं :–

क्रमांक	शहर	परियोजना राशि (करोड़ रूपयों में)
1	इंदौर	2745.75
2	भोपाल	2153.00
3	जबलपुर	1929.00
4	उज्जैन	1237.73

1.7 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक विभिन्न शहरों की रूपये 3348.19 करोड़ की लागत की 49 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। अद्यतन शहरवार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी लागत निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (राशि करोड़ में)
1	इंदौर	14	1030.81
2	भोपाल	22	1563.25
3	जबलपुर	9	607.90
4	उज्जैन	4	145.86
	योग	**49**	**3347.82**

1.8 विभाग के वर्ष 2011–12 के बजट में मिशन मद में रूपये 349.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

1.9 भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है । मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यक्रमों को पहले ही लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्यवाही जारी है । सुधार कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है ।

1.10 मिशन के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है ।

1.11 मिशन के अंतर्गत स्वीकृत अधोसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग द्वारा ''वाटर एंड पावर कसंलटेंसी सर्विसेज,'' नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) को Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार गरीबों के लिए बुनियादी सेवायें उप–मिशन के अंर्तगत स्वीकृत परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच के लिए '' मेसर्स श्रीखण्डे कन्सलटेंट प्रा.लि.'' नवी मुम्बई को **Third Party Independent Review and Monitoring Agencey** नियुक्ति किया गया है ।

1.12 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

1.12.1 प्रदेश के शहरी क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन के महत्व को देखते हुए मंत्रि–परिषद द्वारा ''शहरी परिवहन'' का विषय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम, में संशोधन किया गया है ।

1.12.2 राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मिशन के अंतर्गत प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत बसों की खरीदी हेतु रूपये 193.70 करोड़ लागत से इंदौर में 175, भोपाल में 225, जबलपुर में 75, और उज्जैन में 50 आधुनिक, लो फ्लोर, स्टेट–आफ–आर्ट सिटी बसों का क्रय करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है ।

1.12.3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन एवं जबलपुर शहरों में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ''Special Purpose Vechical'' के रूप में नगरपालिक निगम के महापौर की अध्यक्षता में सिटी बस कंपनियों का गठन किया गया है ।

1.12.4 भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अंतर्गत मिशन शहरों में नई बसों का परिचालन प्रारंभ हो गया है ।

1.13 प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात की व्यवस्था

1.13.1 राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति के अनुक्रम में प्रदेश के मिशन शहरों में लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य स्तरीय एकीकृत नगरीय परिवहन परिषद (S-UMTC) का गठन दिनांक 5 जनवरी, 2012 को किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन हैं ।

1.13.2 प्रदेश स्तर पर S-UMTC के गठन उपरांत शहर स्तर पर भी शहर स्तरीय एकीकृत नगरीय परिवहन परिषद (C-UMTC) के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है । S-UMTC शहरी लोक परिवहन एवं यातायात के विकास एवं विनियमन हेतु प्रदेश स्तरीय सर्वोच्च साधिकारिता युक्त नीति निर्धारण एजेन्सी होगी । S-UMTC की नीतियों का क्रियान्वयन C-UMTC के माध्यम से किया जायेगा ।

1.14 मेट्रो रेल योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इन्दौर शहर में स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के अनुक्रम में Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) से

प्री–फीजिबिलिटी सर्वे कराये जाने का निर्णय लिया गया है । DMRC द्वारा प्री–फीजिबिलिटी सर्वे उपरांत उक्त शहरों में मेट्रो रेल की संभावना दर्शित किये जाने पर उक्त शहरों हेतु DPR निर्माण कराये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

2 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)

2.1 यह योजना भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में माह दिसंबर, 2005 से लागू की गई है । योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए इन बस्तियों का विकास करना है ।

2.2 यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है, जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश, 10 प्रतिशत राज्यांश और 10 प्रतिशत निकाय/हितग्राही के अंश के मापदण्ड पर परियोजनायें स्वीकृत की जाती हैं ।

2.3 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2012 तक रूपये 362.41 करोड़ लागत की 53 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । स्वीकृत परियोजनाओं के तहत गरीबों के लिए 22,510 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य किये जा रहे हैं ।

2.4 इस योजना के प्रदेश स्तर पर कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण, नोडल एजेन्सी मनोनीत है ।

2.5 योजना के लिए विभाग के वर्ष 2011–12 के बजट में कुल रूपये 40.51 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

2.6 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–छह** पर है।

3. राजीव आवास योजना (RAY)

1.1 भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में देश के बड़े शहरों में स्लम वासियों तथा शहरी गरीबों के लिये राजीव आवास योजना लागू की गई है । योजना का उद्देश्य निश्चित तरीके से स्लम की समस्याओं को हल करने हेतु राज्यों को प्रत्साहित करके स्लम मुक्त भारत की स्थापना करना है । राजीव आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :–

1. भोपाल
2. इन्दौर

3. जबलपुर

4. उज्जैन

5. ग्वालियर

6. सागर

1.2 योजना के अन्तर्गत इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर नगरों हेतु ''स्लम फ्री सिटी प्लान'' तैयार कर भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रेषित किये जा चुके हैं । भोपाल व उज्जैन नगरों हेतु ''स्लम फ्री सिटी प्लान'' तैयार किये जा रहे हैं ।

1.3 उपरोक्त 4 नगरों में 1258 मलिन बस्तियां चिन्हांकित की गई है, जिनकी कुल जनसंख्या 13,38,240 है । इन बस्तियों के उन्नयन/पुनर्विकास/पुनर्स्थापन के लिये कुल रूपये 7174.45 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है ।

1.4 इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर नगर पालिक निगमों द्वारा उनकी तैयार की गई कार्य योजना क्रमशः 6, 5, 4 एवं 3 बस्तियों की पायलट डी.पी.आर. को केन्द्रीय स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण समिति की बैठक दिनांक 19.01.2012 में औपचारिक सहमति प्रदान की जा चुकी है ।

4. छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)

4.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष, 2005 में छोटे एवं मझोले नगरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से **यूआईडीएसएसएमटी** योजना प्रारंभ की गई है।

4.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्दीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है ।

4.3 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है ।

4.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है ।

4.5 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2012 तक रूपये 1076.54 करोड़ लागत की 42 नगरों की 56 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

4.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विववरण **परिशिष्ट – सात** पर है ।

5. स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (SJSRY)

5.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर, 1997 से लागू की गई है । योजना 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश के मापदण्ड पर क्रियान्वित है । वर्तमान में शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय रू. 522.64 से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 13 लाख है ।

5.2 **योजना के प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:–**

(1) शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।

(2) **स्वरोजगार** के लिए रू. 2.00 लाख तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू. 50,000 अनुदान दिया जाता है। 70 प्रतिशत ऋण बैंक देते हैं और 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही को लगानी होती है।

(3) **स्वरोज़गार कार्यक्रम** में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत महिलाओं और 6 प्रतिशत निःशक्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किए जाने के व्यवस्था है।

(4) **हितग्राहियों के कौशल उन्नयन** के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें रू. 10,000 प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है। प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 06 माह है।

(5) **महिलाओं एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम** में कम से कम 5 महिला हितग्राहियों के एक समूह को अधिकतम रू. 3.00 लाख या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है । परियोजना की शेष राशि ऋण के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई जाती है ।

(6) **बचत और साख समिति घटक** के तहत गरीब परिवारों की समितियों का गठन कर उन्हे छोटी–छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जरूरत के समय वे समिति से ऋण प्राप्त कर सकें ।

(7) **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** के तहत सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । इस कार्यक्रम में निर्माण कार्य में सामग्री और श्रम पर खर्च का अनुपात 60:40 निर्धारित है । यह कार्यक्रम प्रदेश की नगर पंचायतों में लागू है ।

(8) **योजना के सामुदायिक संगठक घटक** में सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बालवाड़ी आदि गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

5.3 योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 से दिसम्बर, 2011 तक निम्नानुसार केन्द्रांश और राज्यांश प्राप्त हुआ है:–

(रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	योग
1	2007–08	3120.18	1040.06	4160.24
2	2008–09	4722.97	1574.32	6297.29
3	2009–10	4408.47	1469.49	5877.96
4	2010–11	4570.13	1523.38	6093.91
5	2011–12	4204.21	1401.40	5605.61

शहरी स्व–रोज़गार कार्यक्रम तथा शहरी स्व–रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के महत्वपूर्ण घटक है । इन दोनों कार्यक्रमों में वर्ष, 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक की उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि
1	शहरी स्व–रोज़गार कार्यक्रम	5705
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	17535

(ब) प्रादेशिक योजनाएं

1. हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

1.1 प्रदेश के शहरों में ''मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, 2009'' प्रारम्भ की गई है। हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालकों को किरायेदार से मालिक बनाने उनके परिवार की चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा की जरूरतों के लिये सहायता देने की व्यवस्था की गई है ।

1.2 हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की अद्यतन स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–आठ** पर है ।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये ''मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, 2009'' प्रारंभ की गई है। इसके अर्न्तगत घरेलू कामकाजी बहनों का पंजीयन कर उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा एवं कौशल उन्नयन संबंधी जरूरतों को पूरा किया जावेगा।

3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शहरों में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए वर्ष, 2004 में नीति **(नेशनल कंसलटेंशन आफ स्ट्रीट वेंडर)** बनाई गई है । राज्य शासन द्वारा इस नीति के अनुसरण में, शहरों में गरीब तबके के ऐसे लोगों के लिए जो फेरी लगाकर या सडकों के फुटपाथ पर, गलियों के नुक्कड़ आदि पर अस्थायी स्टाल लगाकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का विक्रय कर जीविकोपार्जन करते हैं, योजना बनाकर लागू कराने का निर्णय लिया गया है । इसी निर्णय के अनुसरण के अन्तर्गत मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012 लागू की गई है । राज्य सरकार ने पथ पर व्यवसाय करने वाले लोगों के जीविका को संरक्षण प्रदान करने एवं उनके व्यवसाय को विनियमित कर विधि सम्मत बनाने के उद्देश्य से **म.प्र. पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011** बनाया गया है । योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में शहरी फेरीवालों के सर्वेक्षण कराये जाने व सर्वेक्षण उपरांत पहचान पत्र दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाऐं

1. एशियाई विकास बैंक सहायित–शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय)

1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में किया जा रहा है। परियोजना की अवधि दिसम्बर, 2012 तक है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

कमांक	विवरण	राशि (रू. करोड़ में)

1	एडीबी से प्राप्त ऋण	1154.60
2	मध्यप्रदेश शासन का अंशदान	337.94
3	नगर निगम का अंशदान	261.62
4	यू.एन.हैबीटेट का अंशदान	0.58
	योग	**1754.74**

1.3 परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक कुल रूपये 94. 11 करोड़ का व्यय हुआ है । इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत अभी तक कुल रूपये 1067.37 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

1.4 परियोजना क्रियान्वयन के अंतर्गत संपन्न विभिन्न कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पैकेज की संख्या	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1	कुल प्रस्तावित कार्य	115	1323.93
2	परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा प्रपत्र अनुमोदन	114	1233.10
3	निविदायें आमंत्रित	114	1233.10
4	कार्यादेश जारी	102	1154.12
5	कार्य पूर्ण	78	736.92
6	कार्य प्रगति पर	24	417.20

1.5 परियोजना में क्रियान्वित मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–नौ** में दिया गया है ।

1.6 क्षेत्र सुधार निधि एवं सामुदायिक पहल निधि के अंतर्गत किये गये कार्यो की प्रगति इस प्रकार हैः–

(1) क्षेत्र सुधार निधि के अन्तर्गत क्षेत्र सुधार संबंधी भौतिक कार्य यथा–जल प्रदाय, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, सी.सी. रोड़, नाली एवं सीवर लाईन आदि के कार्य किये जा रहे है ।

(2) सामुदायिक पहल निधि के अन्तर्गत क्षमता वर्धन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आजीविका प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर एवं सामुदायिक भवन संबंधी कार्य किये जा रहे है।

(3) 65 बस्तियों की डी.पी.आर. का अनुमोदन नगर निगम (महापौर परिषद) से हो चुका है, जिसमें 133 भौतिक कार्यो हेतु कार्यादेश जारी होकर कार्य प्रगति पर है एवं 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

(4) चारो शहरों में कुल 14 सामुदायिक शौचालयों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 10 सामुदायिक शौचालयों का कार्य प्रगति पर है ।

(5) इन्दौर व जबलपुर शहरों के लिए 3 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है । भोपाल में सी.सी. रोड़, नाली एवं सामुदायिक भवन का कार्य प्रगति पर है ।

(6) चारो शहरों में कुल 2713 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष का कार्य प्रगति पर है । चारो शहरों में कुल 106 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जा चुके हैं ।

(7) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आजिविका प्रशिक्षण का कार्य सभी बस्तियों में प्रगति पर है, जिसमें मुख्यतः टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोटर ड्रायविंग, मोबाईल रिपेयरिंग, मेसन एवं प्लम्बर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, कुल 35 बैच पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें 265 छात्रों को प्रशिक्षण उपरांत सफलता पूर्वक रोजगार प्राप्त हो चुका है ।

(8) सी.आई.एफ. कार्यक्रम के अन्तर्गत जबलपुर व इन्दौर शहर की चयनित बस्तियों में गठित सामुदायिक समूह समिति के कुल 240 सदस्यों को 6 बैचो में MEPMA हैदराबाद में शैक्षणिक भ्रमण कराया गया ।

(9) इन्दौर व जबलपुर में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से घर–घर से कचरा संग्रहित करना तथा इसका सही प्रबंधन करने का कार्य प्रगति पर है । जबलपुर में ठोस अपशिष्ठ से वर्मी कम्पोष्ट खाद सफलतापूर्वक बनाया जा रहा है । ए. आई.एफ., सी.आई.एफ. के अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद एवं बैंगलौर में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, DEWATS एवं स्व–सहायता समूह आदि के विषय में अध्ययन एवं भ्रमण किया गया ।

(10) चारो शहरों में ए.आई.एफ. में कुल राशि रूपये 621.60 लाख एवं सी.आई.एफ. में कुल राशि रूपये 196.35 लाख जारी किये जा चुके हैं, जिसमें ए.आई.एफ. में रूपये 500. 73 लाख एवं सी.आई.एफ. में रूपये 96.40 लाख व्यय किये जा चुके हैं ।

2. मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान)

2.1 माह सितबंर, 2006 में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शहरों में Department for International Development (DFID) की सहायता से मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम पांच वर्ष की अवधि के लिये राज्य में प्रारंभ किया गया था । दिसम्बर, 2011 में भारत सरकार एवं डी.एफ.आई.डी. द्वारा परियोजना की अवधि दिसम्बर, 2012 तक के लिये बढ़ा दी गई है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत रूपये 41 मिलियन (लगभग 300 करोड़) की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त होगी।

2.2 कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शहरों में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य लिये गये हैं :–

(1) सर्वाधिक गरीब बस्तियों में अधोसंरचना सुधार ।

(2) नगरपालिका प्रशासनिक प्रणाली तक गरीबों को आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रशासनिक सुधार ।

(3) निगमों में ई–गर्वनेंस प्रणाली लागू करना ।

(4) गरीबों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा को बदलने हेतु जीविकोपार्जन के साधनों का प्रशिक्षण एवं वित्तीय संसाधनों के माध्यम से उनका सशक्तीकरण करना ।

(5) गरीब बस्तियों में सामुदायिक भागीदारी से व उनके सहयोग से सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण व रखरखाव आधार पर सामुदायिक भवनों का निर्माण।

(6) शौचालय एवं जल प्रदाय सुविधायें उपलब्ध कराना ।

2.3 परियोजना के दूसरे चरण में प्रदेश के शेष 10 नगरपालिक निगम वाले शहर– उज्जैन, खंडवा, सागर, रतलाम बुरहानपुर, देवास, सतना, सिंगरौली, कटनी एवं रीवा को भी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत इन नगरों में ई–गर्वनेंस, वित्तीय सुधार, सामाजिक विकास, गंदी बस्तियों का विकास, सुशासन हेतु पहल से संबंधित कार्य और इस संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है ।

2.4 परियोजना के अंतर्गत वर्तमान तक सम्पन्न कार्यो का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–दस** पर है ।

2.5 वित्तीय उपलब्धि– परियोजना के अंतर्गत अब तक रू. 170.00 करोड़ की राशि का व्यय हो चुका है । इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायता मद में रूपये 86.83 करोड़ व बस्ती अधोसंरचना विकास मद में लगभग रूपये 158.63 करोड़ की लागत के कार्यो को सम्पन्न करने हेतु कार्यवाही विभिन्न स्तर पर प्रचलित है ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं / कार्यक्रम

1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है ।

(1) जनरल बेसिक ग्राण्ट – समस्त नगरीय निकायों के लिए

(2) स्पेशल एरिया बेसिक ग्राण्ट – प्रदेश की आदिवासी क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त रूप से

उपरोक्तानुसार अनुदान वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त अनुदान शर्त रहित है, जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए नगरीय निकायें स्वतंत्र है । वर्ष 2011–12 में भारत सरकार से रूपये 8710.00 लाख अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें रूपये 354.00 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराये गये । इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से 9 सुधार कार्यक्रमों के लागू करने की शर्त पर परफार्मेंस ग्रांट भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है । विभाग द्वारा 9 शर्तो की पूर्ति कर दी गई है, एवं उक्त राशि भारत सरकार से विमुक्त होने पर नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई जायेगी ।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है । इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं और आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी । उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकायों के अनिवार्य एवं एच्छिक कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु विशेष निधि का गठन किया गया है ।

2.2 इस निधि में विभाग को आयोजनेत्तर मदों जैसे सडक मरम्मत–अनुरक्षण, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 10 प्रतिशत भाग पृथक निधि के रूप में रखा जाकर विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये निकायों को अनुदान दिया जाता है ।

2.3 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये है ।

2.4 वर्ष 2011–12 में जनवरी, 2012 तक इस निधि से नगरीय निकायों को रू. 62.00 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

3. म. प्र. शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/

बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है ।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है ।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''म.प्र. नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है । कंपनी में 26 प्रतिशत अंश राज्य शासन का तथा 74 प्रतिशत अंश निजी क्षेत्र की कंपनी का रखे जाने का प्रावधान है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है ।

4. मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्रान्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड का गठन किया गया है ।

5. एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम

5.1 नगरीय क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाने एवं सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम 110 नगरीय निकायों में संचालित किया जा रहा है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 9.49 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है । नगरों को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नगरीय निकायों में औसत सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है । इंटीग्रेटेड लो–कॉस्ट सेनिटेशन स्कीम के अंतर्गत 14 नगरीय निकायों में रूपये 14.97 करोड़ की लागत के 14281 व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि नगरों को खुले में शौच की समस्या से मुक्त किया जा सके ।

5.2 राष्ट्रीय स्वच्छता नीति के मापदण्डों के अनुरूप 37 शहरों का सिटी सेनीटेशन प्लान तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। नगरीय क्षेत्र को कचरे से मुक्त करने के लिये घर–घर से कचरा एकत्रित करने की प्रक्रिया को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

6. <u>नगर विकास योजना (CDP) संकल्प, 2010</u>

6.1 नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 110 नगरों (14 नगर पालिक निगम, 91 नगर पालिका परिषद एवं 05 नगर परिषद ''पवित्र शहर'') की नगर विकास योजना तैयार की जा चुकी है, जिसे परिषद द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है ।

6.2 वर्ष 2035 को ध्यान में रखते हुए 110 नगरीय निकायों में तैयार की गई नगर विकाय योजना के अनुसार संपूर्ण विकास हेतु कुल रूपये 62523.91 करोड़ की आवश्यकता का आंकलन किया गया है ।

6.3 नगर विकास योजना में चिन्हांकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य ''मुख्यमंत्री शहरी अधोसरंचना विकास योजना'' के अन्तर्गत किया जायेगा ।

6.4 वर्ष 2013 तक 267 नगर परिषदों की नगर विकास योजना तैयार की जायेगी । तद्नुसार नगर परिषदों के लिये सी.डी.पी. तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है ।

7. <u>रैनबसेरा</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले शहरी गरीबों के रात्रि विश्राम के लिये रैनबसेरों के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश के 24 बड़े शहरों में रैनबसेरों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं । जिन शहरों में पूर्व से ही रैन बसेरे निर्मित हैं, उन रैन बसरों में आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसे – प्रकाश, पानी, शौचालय, लाकर आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही पुरूष एवं महिलाओं के अलग–अलग रहने की व्यवस्था है । इन 24 शहरों में से ऐसे शहरों में जहॉ रैनबसेरे निर्माणाधीन है, वहॉ अस्थाई रैनबसेरों की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा की गई है ।

8. <u>रामरोटी योजना</u>

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 4 बड़े शहरों क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में रामरोटी योजना चल रही है । इस योजना में रैन बसरों में रात्रि विश्राम करने वाले व्यक्तियों को शाम का भोजन रियायती दर पर रूपये 5/– में उपलब्ध कराया

जा रहा है । योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जा रहा है।

9. सिंहस्थ, 2016

राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ, 2016 को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये दिनांक 13.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री–परिषद् समिति का गठन किया गया है तथा सिंहस्थ, 2016 से संबंधित कार्य योजना तैयार करने, निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं सामग्री खरीदी के लिये दिनांक 17.10.2011 को संभागायुक्त उज्जैन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया है । समिति द्वारा सिंहस्थ, 2016 की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

10. करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है, वर्ष 2010–11 में राजस्व संग्रहण के लिये निम्नलिखित नगरीय निकायों को प्रोत्साहन पुरूस्कार घोषित किये गये हैंः–

क्र.	नगरीय निकाय का प्रकार	नगरीय निकाय का नाम	स्थान	पुरूस्कार की राशि लाख में
1.	नगर निगम	नगर निगम भोपाल	प्रथम	25.00
		नगर निगम इन्दौर	द्वितीय	12.00
		नगर निगम सतना	तृतीय	8.47
2.	नगर पालिका परिषद	न.पा.प. पीथमपुर	प्रथम	15.00
		न.पा.प. वारासिवनी	द्वितीय	10.00
		न.पा.प. मलाजखण्ड	तृतीय	7.50
3.	नगर परिषद	न.प. राऊ	प्रथम	10.00
		न.प. बेटमा	द्वितीय	7.00
		न.प. राजगढ (धार)	तृतीय	5.03

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन निधि की राशि जमा की जाती है। इस योजना के संचालन के लिये आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक, पेंशन स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं ।

1.2 योजना के संचालन के लिये नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जाता है तथा नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी 20 प्रतिशत की राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जाती है ।

1.3 वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजना के अंतर्गत दिनांक 15.02.2012 तक पेंशन के 1287 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें कुल रूपये 21.90 करोड़ का भुगतान किया गया है ।

1.4 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं की पेंशन योजना संचालित कर रहे हैं।

2. परिभाषित पेंशन अंशदान योजना

2.1 म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–9/3/2003/चार, दिनांक 13.4.2005 के परिपालन में नगरीय निकायों में दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित पेंशन अंशदान योजना प्रणाली'' लागू है ।

3. नगरीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण योजना

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए माह अक्टूबर, 1987 से ''परिवार कल्याण योजना'' लागू की गई है ।

3.2 इस योजना का संचालन आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर पृथक से निधि का सृजन कर किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों के मासिक अभिदान की राशि निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से कटौती कर इस खाते में जमा की जाती है ।

3.3 **अभिदान राशि का विवरण इस प्रकार है:–**

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान राशि (रूपयों मे)
1.	प्रथम श्रेणी	160.00
2.	द्वितीय श्रेणी	120.00
3.	तृतीय श्रेणी	100.00
4.	चतुर्थ श्रेणी	60.00
5.	सफाई कामगार	30.00

3.4 उपर्युक्त योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के दावेदार को अधिमान्य क्रम के अनुसार क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000/– और 30,000/– का भुगतान किया जाता है । सेवानिवृति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है ।

3.5 वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजना के अंतर्गत दिनांक 15.02.2012 तक कुल 859 सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के दावेदारों को कुल राशि रूपये 2.46 करोड़ का भुगतान किया गया ।

3.6 नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है ।

4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समूह बीमा योजना दिनांक 1.4.1988 से प्रारंभ की गई है ।

4.2 योजना के प्रारंभ में सफाई कामगारों के वेतन से प्रति हितग्राही रूपये 12/– और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 36/– वार्षिक निर्धारित किया गया था, जिसमें सफाई कामगार की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 5,000/– और दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 10,000/– नामित व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान किया जाता था ।

4.3 उक्त योजना के अन्तर्गत माह दिसंबर, 2007 से प्रति हितग्राही रूपये 120/– और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360/– वार्षिक निर्धारित किया गया है । इस प्रकार सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000/– और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 1,00,000/– संबंधित दावेदार को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है ।

4.4 वित्तीय वर्ष 2011–2012 में दिनांक 15.02.2012 तक कुल 89 सफाई कामगारों के प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामित व्यक्तियों को कुल रूपये 44.50 लाख का भुगतान किया गया।

भाग–चार
अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति मुख्य रूप से निम्नांकित संस्थाओं के माध्यम से की जाती हैः–

1. आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल ।
2. क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ।
3. आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भोपाल ।
4. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद ।
5. यशवंत राव चव्हाण अकादमी आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पूणे ।
6. आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल।

1.2 वर्ष 2011–12 में विभिन्न विषयों पर विभाग के अंतर्गत कुल 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें लगभग 577 अधिकारी/कर्मचारी और निर्वाचित पदाधिकारीगण लाभान्वित हुए ।

1.3 नगरपालिक निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों और निर्वाचित अमले के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक की सहायता से क्रियान्वित ''प्रोजेक्ट उदय'' के अंतर्गत यू.एन. हैबीटेट–वाटर फार एशियन सिटीज प्रोग्राम के सहयोग से चलाये जा रहे हैं ।

1.4 विभाग, नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षदगण के प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करता आ रहा है तथा महिला महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों के प्रबोधन के लिए पृथक से प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन भी विशेष रूप से किया जा रहा है।

1.5 माह दिंसबर, 2009 में हुए सामान्य निर्वाचन उपरांत नगरीय निकायों की नव–निर्वाचित महिला पार्षदों के प्रशिक्षण का वृहत कार्यक्रम आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्वनमेंट, भोपाल के समन्वय में संचालित किया जा रहा है ।

1.6 **राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंध संस्थान, भोपाल** नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उमशमन मंत्रालय द्वारा भोपाल में एक राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंध संस्थान के गठन की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है । उक्त संस्थान के माध्यम से न सिर्फ प्रदेश अपितु पड़ोसी राज्यों की नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निर्वाचित पदाधिकारियों को भी निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा एवं संस्थान नगरीय प्रबंधन से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण का एक सशक्त स्त्रोत बना रहेगा ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा राज्य, संभाग और नगरीय निकायों के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का वृहत कार्यक्रम लागू किया गया है । म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अंतर्गत संचालनालय और उसके सभी संभागीय कार्यालयों की कम्प्यूटर

हार्डवेयर की आवश्यकता की पूर्ति कर दी गयी है । इसी प्रकार परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी नगरपालिक निगमों को भी उनकी आवश्यकता का आंकलन करने के बाद कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराये गये हैं ।

2.2 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है । वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है ।

2.3 म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम के सहयोग से विभाग की ई–गर्वनेंस आवश्यकताओं की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है ।

2.4 विभाग द्वारा संचालनालय और बड़े नगर पालिक निगमों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों /कर्मचारियों को मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख सेवायें कार्यक्रम के अंर्तगत कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया है ।

2.5 **नगर पालिक निगम भोपाल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS)** को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम की समस्त कार्य प्रणाली कम्प्यूट्रीकृत की जा रही है । उक्त परियोजना लागू होने के पश्चात् नागरिक अपने करों एवं उपभोक्ता प्रभारों का भुगतान ऑन लाईन कर सकेगें । भविष्य में इस प्रणाली को अन्य बड़े नगरों में भी लागू करने की योजना है ।

2.6 **अरबन सेक्टर मेनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम (USMIS)** के अन्तर्गत संचालनालय, संभागीय कार्यालयों एवं नगर निगमों को सूचनाओं तथा जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु परस्पर जोड़ा जा रहा है । इस परियोजना के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों /कर्मचारियों को संचालनालय की पेंशन शाखा से जोड़ने हेतु डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

3.1 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के नये प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वंय का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है । नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है ।

4. ऑन लाईन मनी ट्रांसफर

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन मनी ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है । इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को विभागीय बजट से मुक्त किये जाने वाले विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है ।

4.2 ऑन लाईन मनी ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनो की बचत हुई है । इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है । वित्त विभाग द्वारा भी माह जनवरी, 2012 से इसी तर्ज पर अब सीधे कोषालय के माध्यम से राशि नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है ।

5. नगरीय निकायों के निर्वाचन

5.1 वर्ष 2011–12 के दौरान प्रदेश की 06 नगरीय निकायों क्रमशः ईसागढ, मण्डीदीप, हरदा, पसान, अमरकंटक एवं माण्डव में विद्यमान परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के कारण चुनाव कराये गये ।

6. विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां, तथा स्थानांतरण

6.1 वर्ष के दौरान राज्य सेवा के किसी भी संवर्ग में नई नियुक्ति नहीं हुई है ।

6.2 वर्ष 2011–12 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संवर्गो में स्वीकृत पदों पर की गई पदोन्नतियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.	**पद जिससे पदोन्नति हुई**	**पदोन्नत किये जाने वाले पद का नाम**	**कुल पदोन्नत अधिकारियों की संख्या**
1	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री	30
2	उपयंत्री	सहायक यंत्री	06
3	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी **ग** एवं राजस्व निरीक्षक श्रेणी **कक**, **क** एवं **ख**	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी **ख**	17

6.3 वर्ष के दौरान विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कुल 423 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये ।

6.4 प्रदेश में बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत नगरीय निकायों के दायित्वों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिये नगरीय निकायों के लिये मानक सेटअप तैयार किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निकायों के कार्यो की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषज्ञ सेवाओं को प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रशासकीय, यांत्रिकी तथा स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन एवं नवीन राजस्व एवं वित्त सेवा का भी गठन किया जा रहा है ।

7. नगरीय निकायों का अंकेक्षण

7.1 नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. द्वारा किया जाता है ।

7.2 वर्ष के दौरान कुल 16,729 अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण किया गया ।

8. विधि विषयक कार्य

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा प्रशासित निम्नांकित अधिनियमों में संशोधन/नये नियमों का निर्माण किया गयाः–

8.1 मध्यप्रदेश नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम, 2011 बनाये गये । उक्त नियमों की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 23.02.2011 को किया गया ।

8.2 मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011 बनाया गया । उक्त अधिनियम की अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 04.01.2012 को किया गया ।

8.3 संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखने, औद्योगिक क्षेत्र अथवा विकास केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों के नियंत्रण के संबंध में परिषद की शक्तियां औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को सौंपने एवं कालोनियों के विकास के संबंध में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन किये गये । उक्त संशोधनों की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 04.01.2012 को किया गया ।

8.4 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 एवं म.प्र. नगर पालिक अधिनियम, 1956 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नगर परिषद/ नगर पालिका परिषद /नगर निगमों के गठन हेतु जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार मापदण्ड़ निर्धारित किये गये :–

1. नगर परिषद – 20,000 से अधिक 50,000 से कम जनसंख्या ।
2. नगर पालिका परिषद – 50,000 से अधिक 3,00,000 से कम जनसंख्या ।
3. नगर पालिक निगम – 3,00,000 से अधिक जनसंख्या ।

उपरोक्त मापदण्डों की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27.12.2011 में किया गया ।

———————

परिशिष्ट–एक

नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1.	आयुक्त	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
2.	अपर संचालक	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
3.	संयुक्त संचालक	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
4.	संयुक्त संचालक (वित्त सेवा)	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
5.	उप संचालक	4	–	4	4	–	4	–	–	–	
6.	सहायक संचालक	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
7.	सांख्यिकी अधिकारी	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
9.	अधीक्षक	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
10.	सहायक अधीक्षक	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
11.	वरिष्ठ सहायक	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
12.	लेखा अधिकारी एस. ए.एस	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
13.	लेखा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
14.	चुंगी लेखापाल एस. ए.एस.	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
15.	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
16.	निज सहायक ग्रेड–2	2	–	2	–	–	–	2	–	2	पद के विरूद्ध वेतन आहरण
17.	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	5	–	5	5	–	5	–	–	–	
18.	सहायक ग्रेड–1	18	–	18	16	–	16	2	–	2	
19.	लेखापाल	7	–	7	4	–	4	3	–	3	
20.	सहायक ग्रेड–2	15	–	15	15	–	15	–	–	–	
21.	स्टेनोटायपिस्ट	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
22.	सहायक ग्रेड–3	30	–	30	20	–	20	10	–	10	
23.	वाहन चालक	5	2	7	6	–	6	–	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्येत्तर होने से अधिक है।
24.	दफ्तरी	4	–	4	2	–	2	2	–	2	
25.	भृत्य	16	–	16	09	–	09	7	–	7	

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
26	फर्राश सह चौकीदार	7	—	7	8	—	8	—	—	—	1 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्योत्तर होने से अधिक है ।
27	हेल्पर	1	2	3	1	—	1	—	2	2	
	चौकीदार	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
योगः—		139	5	144	113	—	113	29	5	34	

————————

संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय मध्यप्रदेश

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	प्रतिनियुक्ति से भरे हैं
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	5	—	5	2	—	2	
3	सहायक वर्ग–1	21	—	21	19	—	19	2	—	2	
4	लेखापाल	7	—	7	2	—	2	5	—	5	
5	सहायक वर्ग–2	21	—	21	21	—	21	—	—	—	
6	सहायक वर्ग–3	28	—	28	11	—	11	17	—	17	
7	स्टेनो–टायपिस्ट	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
8	वाहन चालक	3	—	3	1	—	1	2	—	2	
9	भृत्य	14	—	14	14	—	14	—	—	—	
योग		115	—	115	83	—	83	32	—	32	

यांत्रिकी प्रकोष्ठ संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल

क्रंमाक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	मुख्य अभियंता	01	00	01	
2.	अधीक्षण यंत्री	01	01	00	
3.	कार्यपालन यंत्री	02	04	00	2 अधिक कार्यरत
4.	सहायक यंत्री	04	01	03	
5.	प्रशासकीय अधिकारी	01	01	00	
6.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	03	03	00	
7.	सहायक संचालक	01	01	00	
8.	उपयंत्री	02	02	00	
9.	शीघ्रलेखक	02	02	00	
10.	सहायक अधीक्षक	01	00	01	
11.	लेखापाल	01	01	00	
12.	मानचित्रकार	02	02	00	
13.	स्टेनो टायपिस्ट	01	00	01	
14.	अग्रेंजी टायपिस्ट	01	01	00	
15.	ट्रेसर	01	01	00	
16.	सहायक वर्ग–3	07	07	00	
17.	व्यवस्थापक	01	00	01	
18.	वाहन चालक	12	08	04	
19.	भृत्य	11	11	00	
20.	चेनमेन	01	01	00	
21.	माली	03	01	02	
22.	चौकीदार	03	02	01	
23.	सफाई कामगार	06	02	04	
24.	मॉडलर	02	01	01	
25.	पप अटेंडेंट	01	00	01	
26.	इलेक्ट्रिीशियन	01	00	01	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
27.	वाटरमेन	01	00	01	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
	योग	74	54	22	

यांत्रिकी प्रकोष्ठ संभागीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश

क्रंमाक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	अधीक्षण यंत्री	02	02	00	
2	कार्यपालन यंत्री	07	07	00	
3	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	02	02	00	
4	सहायक यंत्री	14	12	02	
5	उपयंत्री	07	07	00	
6	मानचित्रकार	07	07	00	मानचित्रकार पद के विरूद्ध उपयंत्री पदस्थ हैं ।
7	ट्रेसर	07	04	03	
8	सहायक वर्ग–3	14	14	00	
9	वाहन चालक	07	00	07	
10	भृत्य	14	14	00	
11	चौकीदार	08	04	04	
	योग	89	73	16	

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मध्यप्रदेश

क.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	41	09	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	26	36	–''–
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	07	31	–''–
4	आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट	50	09	41	प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	–''–
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	10	25	–''–
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 4500 प्रतिमाह)	388	253	135	संविदा
	योग	**736**	**381**	**355**	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगर पालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	5. करेरा 6. कोलारस 7. खनियाधाना 8. पिछोर 9. बदरवास 10. नरवर 11. बैराड
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	12. चाचौडाबीनागंज 13. आरोन 14. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	15. मुगावली 16. ईसागढ 17. शाढौरा
	5. दतिया		7. दतिया	18. भांण्डेर 19. इंदरगढ़ 20. सेवड़ा 21. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	22. मेहगांव 23. लहार 24. गोरमी 25. अकोड़ा 26. मिहोना 27. आलमपुर 28. दबोह 29. मौ 30. फूफकलां
	7. मुरैना		10. मुरैना 11. अम्बाह 12. पोरसा 13. सबलगढ.	31. जौरा 32. कैलारस 33. झुण्डपुरा 34. बामौर
	8. श्योपुरकलां		14. श्योपुरकलां	35. विजयपुर 36. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	2. इंदौर		37. देपालपुर 38. सांवेर 39. गौतमपुरा 40. बेटमा 41. राऊ 42. हातौद 43. मानपुर 44. महुगांव

	10. धार		15. धार 16. मनावर 17. पीथमपुर	45. राजगढ़ 46. कुक्षी 47. बदनावर 48. धरमपुरी 49. धामनौद 50. सरदारपुर 51. मांडव 52. डही
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	53. अंजड़ 54. राजपुर 55. खेतिया 56. पानसेमल 57. पलसूद
	12. झाबुआ		20. झाबुआ	58. थांदला 59. पेटलावद 60. रानापुर 61. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		21. अलीराजपुर	62. जोबट 63. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24. बड़वाह	64. मण्डलेश्वर 65. कसरावद 66. भीकनगांव 67. महेश्वर 68. करही एवं पांडल्याखुर्द
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	3. खंडवा		69. मूंदी 70. पंधाना 71. ओंकारेश्वर 72. छनेरा
	16.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25. नेपानगर	73. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	74. तराना 75. उन्हेल 76. माकडोन
	18 नीमच		30. नीमच	77. मनासा 78. रामपुरा 79. जावद 80. जीरन 81. रतनगढ़ 82. सिंगोली 83. डिकेन 84. कुकड़ेश्वर 85. नयागांव 86. अठाना 87. सरवनिया महाराज
	19. देवास	6. देवास		88. कन्नौद 89. सोनकच्छ 90. खातेगांव 91. हाटपिपल्या 92. बागली

				93. भौरासा 94. करनावद 95. काटाफोड़ 96. लोहारदा 97. सतवास 98. टोंकखुर्द 99. पिपलरंवा 100. नेमावर
	20. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	101. नलखेड़ा 102. मक्सी 103. बड़ौद 104. कानड़ 105. अकोदिया 106. सुसनेर 107. सोयतकलां 108. बड़ागांव 109. पोलायकलां 110. पानखेडी
	21. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	111. ताल 112. सैलाना 113. आलोट 114. नामली 115. बड़ावदा 116. पिपलौदा 117. धामनौद
	22. मंदसौर		35. मंदसौर	118. शामगढ़ 119. सीतामऊ 120. पिपल्यामंडी 121. नारायणगढ़ 122. मल्हारगढ़ 123. भानपुरा 124. नगरी 125. गरोठ 126. सुवासरा
5. भोपाल	23. भोपाल	8. भोपाल	36. कोलार 37. बैरसिया	
	24. सीहोर		38. सीहोर 39. आष्टा	127. इछावर 128. बुदनी 129. जावर 130. नसरूल्लागंज 131. रेहटी 132. कोठरी 133. शाहगंज
	25. रायसेन		40. रायसेन 41. बेगमगंज 42. मण्डीदीप	134. औबेदुल्लागंज 135. सुल्तानपुर 136. बरेली 137. बाड़ी 138. सांची 139. उदयपुरा 140. सिलवानी

				141. गैरतगंज
	26. विदिशा		43. विदिशा 44. गंज बासौदा 45. सिरोंज	142. कुरवाई 143. लटेरी 144. शमशाबाद
	27. राजगढ़		46. राजगढ 47. नरसिंहगढ़ 48. सारंगपुर 49. ब्यावरा	145. जीरापुर 146. कुरावर 147. खिलचीपुर 148. तलेन 149. बोड़ा 150. खुजनेर 151. पचोर 152. सुठालिया 153. माचलपुर 154. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	28. होशंगाबाद		50. होशंगाबाद 51. इटारसी 52. सिवनीमालवा 53. पिपरिया	155. बाबई 156. सोहागपुर
	29. हरदा		54. हरदा	157. टिमरनी 158. खिड़किया
	30. बैतूल		55. बैतूल 56. आमला 57. सारणी 58. मुलताई	159. बैतूल बाजार 160. भैंसदेही 161. आठनेर 162. चिचोली
7. सागर	31. सागर	9. सागर	59. बीना इटावा 60. खुरई 61. गढ़ाकोटा 62. रेहली 63. देवरी	163. राहतगढ़ 164. बंडा 165. शाहपुर 166. शाहगढ
	32. दमोह		64. दमोह 65. हटा	167. तेंदुखेड़ा 168. पथरिया 169. हिन्डोरिया 170. पटेरा
	33. पन्ना		66. पन्ना	171. अमानगंज 172. देवेन्द्र नगर 173. अजयगढ़ 174. ककरहटी 175. पवई
	34. छतरपुर		67. छतरपुर 68. नौगांव 69. महाराजपुर	176. धुवारा 177. सटई 178. बारीगढ़ 179. बिजावर 180. गढ़ीमल्हरा 181. बक्सवाहा 182. चंदला 183. बड़ामल्हरा 184. हरपालपुर 185. लौंडी

				186. खजुराहो 187. राजनगर
	35. टीकमगढ़		70. टीकमगढ़	188. निवाड़ी 189. पृथ्वीपुर 190. बल्देवगढ़ 191. खरगापुर 192. पलेरा 193. जैरोनखालसा 194. तरीचरकलां 195. जतारा 196. लिधोराखास 197. बड़ागांव 198. कारी 199. ओरछा
8. रीवा	36. रीवा	10. रीवा		200. बैंकुंठपुर 201. मउगंज 202. त्यौंथर 203. हनुमना 204. चाकघाट 205. गोविन्दगढ. 206. नईगढ़ी 207. सिरमौर 208. मनगवां 209. सेमरिया 210. गुढ़
	37. सीधी		71. सीधी	211. चुरहट 212. रामपुरनेकिन 213. मझोली
	38. सिंगरौली	11.सिंगरौली		
	39. सतना	12.सतना	72. मैहर	214. नागौद 215. बिरसिंहपुर 216. जैतवारा 217. कोटर 218. कोठी 219. अमरपाटन 220. रामपुर–बघेलान 221. उचेहरा 222. चित्रकूट 223. न्यू रामनगर
9. शहडोल	40. शहडोल		73. शहडोल 74. धनपुरी	224. बुढ़ार 225. ब्यौहारी 226. जयसिंहनगर 227. खाण्ड
	41.अनूपपुर		75. अनूपपुर 76. कोतमा 77. पसान 78. बिजूरी	228. जैतहरी 229. अमरकंटक
	42. उमरिया		79. उमरिया 80. पाली	230. चंदिया 231. नौरोजाबाद

10. जबलपुर	43. जबलपुर	13. जबलपुर	81. पनागर 82. सिहोरा	232. बरेला 233. भेड़ाघाट 234. शाहपुरा 235. पाटन 236. मझौली 237. कटंगी
	44. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		238. बरही 239. कैमोर 240. विजयराधवगढ़
	45. बालाघाट		83. बालाघाट 84. वारासिवनी 85. मलाजखंड	241. कटंगी 242. बैहर 243. लांजी
	46 छिन्दवाड़ा		86. छिन्दवाड़ा 87. पांढुर्ना 88. जुन्नारदेव जामई) 89. डोगर परासिया 90. दमुआ 91. चौरई 92. अमरवाड़ा 93. सौंसर	244. हर्रई 245. लोधीखेड़ा 246. न्यूटन चिखली 247. चांदामेटा बुटारिया 248. मोहगांव 249. बडकुही 250. पिपलानारायणवार 251. बिछुआ 252. चांद
	47 नरसिंहपुर		94. नरसिंहपुर 95. गाडरवारा 96. करेली 97. गोटेगांव	253. तेंदूखेड़ा 254. सालीचौका 255. सांईखेडा 256. चीचली
	48. सिवनी		98. सिवनी	257. लखनादौन 258. बरघाट
	49. मंडला		99. मंडला 100. नैनपुर	259. बम्हनीबंजर 260. निवास 261. बिछिया
	50 डिण्डोरी			262. डिण्डोरी 263. शाहपुरा

नगर पालिक निगम	**14**
नगरपालिका परिषद	**100**
नगर परिषद	**263**
योग	**377**

परिशिष्ट–तीन (एक)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2011–12 का बजट प्रावधान तथा व्यय

(आयोजना)

मांग संख्या	शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2011–12 के लिये बजट प्रावधान				व्यय दिनांक 01.04.2011 से 31.01.2012 तक			
				सामान्य	एससीएसपी	टीएसपी	योग	सामान्य	एससीएसपी	टीएसपी	योग
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
केंद्र प्रवर्तित योजनायें											
22	2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय	63.06	0.00	0.00	***63.06***	52.55	0.00	0.00	***52.55***
75	2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना *प्रशासनिक व्यय 275.00 सम्मिलित है।*	2087.22	235.00	77.00	***2399.22***	1678.22	177.00	57.00	***1912.22***
75	2217	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम	1.00	0.00	0.00	***1.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	6154	राजीव आवास योजना	10.00	0.00	0.00	***10.00***	1.16	0.00	0.00	***1.16***
75	2217	6297	जलप्रदाय योजना के लिये एक मुश्त अतिरिक्त	0.00	0.00	0.00	***0.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***

			केन्द्रीय सहायता								
बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं											
22	2217 4217 6217	7905 / 7986	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास	15285.39	3730.60	0.00	***19015.99***	7656.75	1860.58	0.00	***9517.33***
22	2217	7321	म प्र अर्बन सर्विसेस फॉर पुअर	6715.00	1285.00	0.00	***8000.00***	3504.39	692.50	0.00	***4196.89***
केंदीय अंशदान प्राप्त योजनाएं											
75	2217	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	31991.16	2049.41	949.63	***34990.20***	16783.72	921.79	426.91	***18132.42***
75	2217	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	3252.81	252.55	545.93	***4051.29***	1792.25	118.41	5.82	***1916.48***
राज्य योजनायें											
75	2217	6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	10.00	0.00	0.00	***10.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	0.00	78.40	0.00	***78.40***	0.00	78.40	0.00	***78.40***

22	2217	5522	राज्य शहरी स्वच्छता मिशन	949.23	0.00	0.00	***949.23***	612.29	0.00	0.00	***612.29***
75	2217	5726	म.प्र. शहरी अधोसरंचना कोष	100.00	0.00	0.00	***100.00***	100.00	0.00	0.00	***100.00***
75	2217	5864	हाथ ठेला एवं सायकल रिक्शा कल्याण योजना	600.00	0.00	0.00	***600.00***	300.00	0.00	0.00	***300.00***
22	2217	6008	ऐम्स क्षेत्रों के नालो का डायवर्शन	100.00	0.00	0.00	***100.00***	50.00	0.00	0.00	***50.00***
22	2217	6022	मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे	55.15	0.00	0.00	***55.15***	55.15	0.00	0.00	***55.15***
22	2217	8163	नगर विकास योजना	280.32	63.11	31.57	***375.00***	140.16	31.55	15.78	***187.49***
75	2217	6024	शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना	700.00	300.00	0.00	***1000.00***	350.00	150.00	0.00	***500.00***
22	2217	6028	आइ. एल. सी. एस (राज्यांश)	89.09	0.00	0.00	***89.09***	29.05	0.00	0.00	***29.05***
22	2217	6028	आइ. एल. सी. एस (	445.44	0.00	0.00	***445.44***	198.84	0.00	0.00	***198.84***

			केन्द्रांश)								
75	2217	6221	इन्फ्रस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	9403.39	0.00	778.44	***10181.83***	2828.86	0.00	14.09	***2842.95***
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये अनुदान	500.00	0.00	0.00	***500.00***	250.00	0.00	0.00	***250.00***
75	2217	6298	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2010	0.00	0.00	0.00	***0.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	7056	अग्निशमन सेवायें	0.03	0.00	0.00	***0.03***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	2661	पेयजल की पूर्ति राज्य सहायता	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	6593	ग्वालियर तथा बुरहानपुर में अंतरिक सड़कों का निर्माण	2500.00	0.00	0.00	***2500.00***	1500.00	0.00	0.00	***1500.00***
75	2217	6607	शहरी क्षेत्रों में जलप्रदाय योजना हेतु अनुदान	5000.00	0.00	0.00	***5000.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
22	2217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था	342.54	0.00	0.00	***342.54***	342.54	0.00	0.00	***342.54***

			का सृदृढ़ीकरण								
			योग	**80480.84**	**7994.07**	**2382.57**	**90857.48**	**38225.93**	**4030.23**	**519.60**	**42775.76**

परिशिष्ट–तीन (दो)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2011–12 का बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय

(आयोजनेत्तर) (रूपये लाख में)

मांग संख्या	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम		वित्त विभाग से प्राप्त आवंटन 2011–12	व्यय दिनांक 31.01. 2012 तक
1	2	3	4	6	7	8
22	2217	2122	पेंशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय)		87.06	72.34
22	2217	6148	वेतन भत्ते संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय		741.64	616.79
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)		2.30	1.92
	2217	5831	म.प्र.सफाई कामगार आयोग का गठन		8.97	6.35
22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान		0.01	0.00
22	2217	3383	विशेष मरम्मत भवन		0.01	0.00
22	2217	6583	अग्निशमन सेवाओं हेतु नगरीय निकायों को अनुदान		100.00	0.00
			योग मांग संख्या 22		**939.99**	**697.40**
75	2215	0523	प्रदेश की जलप्रदाय योजनाओं की स्थापना –वेतन आवंटन पी.एच. ई. को दिया गया।		702.75	645.50
				योग	**702.75**	**645.50**
75	2215	0545	प्रदेश के जलप्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण वेतन आवंटन पी.एच.ई. को दिया गया।		4706.60	4193.94
				योग	**4706.60**	**4193.94**

75	2215	5300	स्थानीय संस्थाओं की जलप्रदाय योजनाओं का संधारण मजदूरी आवंटन पी.एच.ई. को दिया गया।		2375.00	2340.00
				योग	**2375.00**	**2340.00**
75	2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना का संधारण	**नगर निगम**	2133.16	1599.84
				नगर पालिका	210.94	158.22
				नगर परिषद्	42.90	32.22
				योग	**2387.00**	**1790.28**
75	3604	8017	सडक मरम्मत	**नगर निगम**	4902.15	4182.09
				नगर पालिका	3438.50	2606.35
				नगर परिषद्	2326.85	1744.75
				योग	**10667.50**	**8533.19**
75	3604	8018	चुगी क्षतिपूर्ति प्रवेश कर	**नगर निगम**	73612.35	55329.83
				नगर पालिका	41784.40	31406.64
				नगर परिषद्	29953.25	22318.16
				योग	**145350.00**	**109054.63**
75	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों हस्तांतरण	**नगर निगम**	18654.00	15743.67
				नगर पालिका	13084.00	11072.53
				नगर परिषद्	8852.00	7489.54
				योग	**40590.00**	**34305.74**
75	3604	3217	अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दण्ड की वसूली		0.10	0.00
				योग	**0.10**	**0.00**
75	3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भारित		16015.00	11213.95
				योग	**16015.00**	**11213.95**

75	**3604**	**5866**	राज्य वित्त आयोग		0.00	0.00
				योग	**0.00**	**0.00**
75	3604	5866	राज्यकरों में स्थानीय निकायों का अंश	**नगर निगम**	0.00	0.00
				नगर पालिका	0.00	0.00
				नगर परिषद्	0.00	0.00
				योग	**0.00**	**0.00**
75	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजना के लिये विद्युत व्यय की पूर्ति	**नगर निगम**	1000.00	0.00
				नगर पालिका	0.00	0.00
				नगर परिषद्	0.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	**नगर निगम**	1000.00	0.00
				नगर पालिका	0.00	0.00
				नगर परिषद्	0.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	7668	स्थानीय निकायों मुलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्यकरों में हिस्सा)	**नगर निगम**	1839.30	1563.35
				नगर पालिका	5400.80	4579.62
				नगर परिषद्	6075.90	5051.45
				योग	**13316.00**	**11194.42**
75	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	**नगर निगम**	2756.00	1931.94
				नगर पालिका	4265.00	3198.60
				नगर परिषद्	2879.00	2294.46
				योग	**9900.00**	**7425.00**

75	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज		1650.00	1550.00
				योग	**1650.00**	**1550.00**
75	2217	6244	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	**नगर निगम**	7334.00	4003.04
				नगर पालिका	5242.00	2807.75
				नगर परिषद्	3554.00	1899.21
				योग	**16130.00**	**8710.00**
75	2217	6226	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	**नगर पंचायत**	591.30	354.00
				योग	**591.30**	**354.00**
75	2217	6551	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	**नगर निगम**	2534.12	0.00
				नगर पालिका	1777.52	0.00
				नगर परिषद्	1202.36	0.00
				योग	**5514.00**	**0.00**
75	2217	6552	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान	**नगर निगम**	0.00	0.00
				नगर पालिका	132.19	0.00
				नगर परिषद्	65.81	0.00
				योग	**198.00**	**0.00**
75	2217	6391	मण्डला समागम 2011		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	2217	6310	निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण		15.01	0.00
				योग	**15.01**	**0.00**
75	2217	6602	स्थानीय निकायों /पंचायती राज संस्थाओं को कर	**नगर निगम**	45.47	45.47

			संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान			
				नगर पालिका	32.50	32.50
				नगर परिषद्	22.03	22.03
				योग	**100.00**	**100.00**
				योग	**272208.27**	**201410.65**
				महायोग	**273148.26**	**202108.05**

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM) के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम

जेएनएनयूआरएम का मूल उद्देश्य शहरी शासन एवं सेवा वितरण में सुधार लाने को सुनिश्चित करना है, ताकि नगरीय निकाय वित्तीय रूप से मजबूत बन सके एवं नये कार्यक्रम का जिम्मा लेने के लिए सतत् कार्य कर सकें। यह उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि सुधार चार्टर जिनका पालन राज्य सरकारों एवं नगरीय निकायों के द्वारा किया जाना है, जन निजी भागीदारी के तहत कार्य कराये जाने को विशेष महत्व दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेण्डा नीचे दिया गया है पहचान किए हुए सुधारों में नेशनल स्टीरिंग ग्रुप (एनएसजी) अतिरिक्त सुधारों को जोड़ सकता है । केन्द्रीय सहायता पाने के लिए पूर्व अपेक्षित राज्य/नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसियों एवं भारत सरकार के बीच इस सुधार की प्रत्येक मद के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है ।

मिशन अवधि के अन्दर सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधार पूर्ण कर लिए जाएंगे ।

1. अनिवार्य सुधार

नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल में आधुनिक एक्रुअल आधारित द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाना ।

(ख) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेसियों द्वारा प्रदान विभिन्न सेवाओं के लिए जी. आई.एस. एवं एम.आई.एस. को उपयोग में लाते हुए ई–गवर्नेंस प्रणाली का परिचय ।

(ग) जी.आई.एस. सहित संपत्ति कर सुधार । भावी प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकाय द्वारा इसको राजस्व का व्यापक स्त्रोत बनाया जा सकता है, ताकि संग्रहण प्रणाली को सात वर्षो की अवधि में कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके ।

(घ) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल के द्वारा समुचित उपयोगकर्ता प्रभार की उगाही इस उद्देश्य के साथ कि संधारण–संचालन की पूर्ण लागत एवं रिकरिंग लागत का संग्रहण सात वर्षो की अवधि के अन्दर किया जाता है, तथापि, उत्तरपूर्णी एवं विशेष श्रेणी के राज्य के कस्बों एवं शहर प्रारंभिक तौर पर संधारण–संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल कर सकते हैं । ये शहर एवं कस्बे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण संधारण–संचालन लागत वसूली जुटा सकते है ।

(ड) शहरी गरीब को मूलभूत सुविधाएं स्थानीय निकायों में आंतरिक पहचान बजट,

(च) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए वहनीय मूल्यों पर प्रतिभूति की अवधि, सुधार आवास, जल आपूर्ति एवं सरकार की विद्यमान अन्य यूनिवर्सल सेवाओं के प्रदाय को सम्मिलित करते हुए शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान ।

2. राज्यों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए अनुसार विकेन्द्रीकरण साधनों का क्रियान्वयन । राज्य नागरिकों को सेवाओं के वितरण के साथ–साथ पैरास्टेटल एजेंसियों के कार्य की योजना में नगरीय निकाय के संयोजन एवं अर्थ पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करें ।

(ख) अर्बन लेण्ड सीलिंग रेग्यूलेशन एक्ट ।

(ग) भूमि स्वामी एवं किरायेदारों के हित को बनाए रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार ।

(घ) सात वर्षो की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का युक्तियुक्तकरण ।

(ड) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान की तैयारी को सुनिश्चित करने संबंधी सार्वजनिक प्रकटन कानून अधिनियम ।

(च) नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समुदाय भागीदारी कानून अधिनियम एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा की धारणा का परिचय देना ।

(छ) सात वर्षो की अवधि में ''शहरी योजना कार्य नगरीय निकायों को अंतरित करना या उनको लागू करने मे निकायों को भागीदार बनाना।

टिप्पणी– जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सामान्य जनता उन्मुख योजनाओं के संबंध में नीचे दिए गए राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के रूप में लिया जा सकता है :

(क) शहरी भूमि सीमा एवं नियमन अधिनियम

(ख) किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार

3. वैकल्पिक सुधार (राज्यों, नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के लिए सामान्य)

(क) भवनों, स्थल विकास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपविधिकों में संशोधन ।

(ख) कृषि, गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के परिवर्तन हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क का सरलीकरण ।

(ग) नगरीय निकाय में संपत्ति हक प्रमाणन का परिचय ।

(घ) क्रास सब्सिडी की व्यवस्था सहित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों एजेंसियों के लिए) में विकसित भूमि को कम से कम 25–25 प्रतिशत तक चिन्हित करना ।

(ड) भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया लागू करना।

(च) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण साधनों को अपनाने के लिए उपविधियों में संशोधन ।

(छ) चक्रित जल के पुनः प्रयोग हेतु उपविधियॉं ।

(ज) प्रशासनिक सुधार अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), सेवानिवृत्ति आदि की वजह से खाली पदों का न भरा जाना एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्य अपना कर मूलभूत लागतों में कटौती करना ।

(प) ढॉंचागत सुधार

(पप) जन निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

टिप्पणीः जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में शहर अपने क्रियान्वयन में वैकल्पिक श्रेणी के किन्ही भी सुधारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

––0––

परिशिष्ट–पांच

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनायें

स. क.	उपमिशन	वर्ष	शहर / कियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत (रू.लाख में)
1	शहरी अधोसंरचना एवं सु–शासन	2005–06	न.नि. भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2		''	न.नि. इंदौर	यशवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
3		2006–07	न.नि. भोपाल	नाला निर्माण (स्टार्म वाटर ड्रेन चेनेलाईजेशन आफ नाला)	3057.00
4		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्केप मार्ट	811.00
5		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एम. पी. नगर	1894.00
6		''	न.नि. भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	23776.00
7		''	न.नि. इंदौर	बी.आर.टी.एस. (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
8		''	न.नि. इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
9		''	न.नि. इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
10		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फ्राम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
11		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम. आर. 9	3974.64
12		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–1	7801.00
13		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–2	7081.00
14		2007–08	न.नि.इंदौर	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	4324.66
15			न.नि.भोपाल	नर्मदा वाटर सप्लाई फेस–1	30604.16
16			इंदौर विकास प्राधिकरण	आर.ओ.बी. एट जूनी इंदौर रेल्वे क्रांसिग	631.00
17			न.नि.उज्जैन	रीआर्गनाईजेशन आफ वाटर सप्लाई सिस्टम	6686.44
18		2008–09	न.नि.भोपाल	वाटर सप्लाई डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क आफ भोपाल म्युनिसिपल एरिया	41545.64
19			न.नि.इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ मल्टी लेवल पार्किंग एट 20 डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर सिटी	5600.00
20			न.नि. जबलपुर	रिहेबिलिटेशन आफ एक्सिस्टिंग पंपिंग स्टेशन एट रांझी फगुआ एंड कंस्ट्रक्शन आफ न्यू पंपिंग स्टेशन एट भोगेदवर डब्ल्यूटीपी	1406.00
21			न.नि.भोपाल	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	8875.00
22			न.नि.इंदौर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	5975.00
23			न.नि.जबलपुर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	3100.00
24			न.नि. उज्जैन	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	1420.00
25		2009–10	न.नि.जबलपुर	इन्टीग्रेटेड स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम इनक्लूडिंग ओमतीनालाद्ध	32649.00
26			न.नि. उज्जैन	रिस्टोरेशन एंड कन्जरवेशन फार महाकाल एंड गोपाल मंदिर विरासत क्षेत्र (हेरीटेज प्रोजेक्ट)	4739.00
27		2010–11	न.नि. इंदौर	रिवर साईड कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऑफ	18000.00

				बीआरटीएस	
				योग (अ)	**264355.23**
28	**शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं**	**2005–06**	न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर स्लम	1600.00
29			न.नि.भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	253.74
30			न.नि.भोपाल	स्लम रीहेबिलीटेशन आफ रोशनपुरा	4714.74
31			न.नि.भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
32		**2006–07**	न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–1	3950.01
33			न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–2	4111.13
34			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
35			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ गंगा नगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
36			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी, राहुल नगर	5263.29
37			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस –1	1710.20
38			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस–2	1342.87
39			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेई नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, माता मढ़िया एंड बेलार कालोनी	5083.80
40			इंदौर विकास प्राधिकरण	स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134	1242.40
41			न.नि. इंदौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर	6193.15
42			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (लालकुआं)	2472.00
43			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्राक्स्ट्रक्चर (बागरा दफाईं)	2314.00
44			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्क्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
45			न.नि. जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांइड बोर्न कंपनी	1424.00
46		**2007–08**	न.नि. उज्जैन	स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम	1740.91
47		**2008–09**	भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –1	5568.00
48			भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –2	4676.00
49			न.नि. इंदौर	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम	8153.00
				योग (ब)	**70426.94**
				कुल योग (अ+ब)	**334782.17**

परिशिष्ट–छह

IHSDP के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनायें

स. क.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	विदिशा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	70	184.98
2.	गंजबासौदा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	60	170.51
3.	सिरोंज पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	48	160.95
4.	सिरोंज पार्ट 2	मूलभूत अधोसंरचना	–	18.89
5.	लटेरी	शहरी गरीबों को मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	–	44.87
6.	ग्वालियर	शहरी गरीबों की आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	4576	5362.02
7.	देवास पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1216	1715.32
8.	देवास पार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1384	1932.57
9.	खंडवा पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1296	1738.39
10.	खंडवा पार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	812	1073.96
11.	दमोह	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	104	229.83
12.	बालाघाट	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	966	1297.95
13.	बेरसिया	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	160	174.80
14.	कुरवाई	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	48	95.91
15.	कटनी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	2182	2918.14
16.	नरसिंहपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	651	839.88
17.	मझौली	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	140	215.31
18.	बरेला	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	120	225.47
19.	पाटन	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	120	227.52
20.	शाहपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	104	153.89
21.	देपालपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	399.81
22.	पानसेमल	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत	128	293.87

		अधोसंरचना संबंधित परियोजना		
23.	खुजनेर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	100	241.25
24.	बेटमा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	313.94
25.	गौतमपुरा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	395.70
26.	कटंगी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	160	249.98
27.	पेटलावद	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	240	342.33
28.	इटारसी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	153	363.53
29.	मण्डीदीप	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	180	330.59
30.	होशंगाबाद	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	297	517.55
31.	ओरछा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	192	344.73
32.	बुरहानपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	833	1365.85
33.	जावरा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	167	247.73
34.	सागर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	480	777.07
35.	छिन्दवाड़ा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	500	742.00
36.	मोहगांव	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	267	616.38
37.	सौंसर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	461	712.52
38.	हर्रई	आवास निर्माण अधोसंरचना	139	339.00
39.	चांदामेटा	आवास निर्माण अधोसंरचना	212	676.16
40.	मंदसौर	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	1250.00
41.	खरगौन	आवास निर्माण अधोसंरचना	200	491.00
42.	रीवा	आवास निर्माण अधोसंरचना	248	667.49
43.	सतना	आवास निर्माण अधोसंरचना	270	733.01
44.	सिंगरौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	300	733.33
45.	महिदपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	441	838.40
46.	सिंगोली	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	368.79
47.	डिकेन	आवास निर्माण अधोसंरचना	124	381.84
48.	अमरवाडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	657.01
49.	जीरापुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	145	400.00

50.	चौरई	आवास निर्माण अधोसंरचना	266	573.47
51.	पांढुरना	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	300.04
52.	जीरन	आवास निर्माण अधोसंरचना	126	377.20
53.	रतनगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	135	417.78
		योग :–	**22510**	**36240.52**

परिशिष्ट–सात

यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनायें

स.क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)
1	2	3	4
1.	नगर पालिका विदिशा	जल प्रदाय योजना	1557.52
		सीवरेज योजना	218.00
		सडक निर्माण	73.58
2.	नगर पालिका गढ़ाकोटा	जल प्रदाय योजना	596.36
		सडक निर्माण	143.76
3.	नगर पालिका दमोह	जल प्रदाय योजना	874.20
		पाईप का जीर्णोद्धार	62.35
		गजानन क्षेत्र में पाईप का जीर्णोद्धार	130.17
		तालाब संरक्षण	53.00
		सडक निर्माण	418.97
4.	नगर पालिका टीकमगढ़	जल प्रदाय योजना	983.18
5.	नगर पालिका मलाजखंड	जल प्रदाय योजना	525.42
		नाला निर्माण	27.60
6.	नगर पालिका इटारसी	जल प्रदाय योजना	1467.83
		सीवरेज योजना	708.43
		सडक निर्माण	844.57
7.	नगर पंचायत बुदनी	जल प्रदाय योजना	194.60
		सीवरेज योजना	195.05
8.	नगर पालिका जावरा	जल प्रदाय योजना	663.00
		सीवरेज योजना	294.25
9.	नगर पंचायत रेहटी	सीवरेज योजना	143.48
		जल प्रदाय योजना	276.48
10.	नगर पालिका डबरा	जल प्रदाय योजना	1441.84
		स्त्रोत निर्माण	1112.10
11.	नगर पालिका सीहोर	जल प्रदाय योजना	1454.52
12.	नगर निगम रतलाम	जल प्रदाय योजना	3265.10
13.	नगर निगम खण्डवा	जल प्रदाय योजना	10672.30
14.	नगर निगम देवास	जल प्रदाय योजना	5837.00
	नगर निगम देवास	जल प्रदाय योजना	3975.00
15.	नगर पालिका शिवपुरी	जल प्रदाय योजना	5964.66
16.	नगर पालिका रहली	जल प्रदाय योजना	602.75
17.	नगर पालिका छतरपुर	जल प्रदाय योजना	1593.80
18.	नगर पालिका ब्यावरा	जल प्रदाय योजना	709.47
19.	नगर निगम रीवा	जल प्रदाय योजना	1427.87
20.	नगर पालिका सिरोंज	जल प्रदाय योजना	622.95
21.	नगर पालिका सनावद	जल प्रदाय योजना	729.68
22.	नगर पालिका शुजालपुर	जल प्रदाय योजना	1745.32
23.	नगर पालिका मंदसौर	जल प्रदाय योजना	1552.45
24.	नगर पालिका पन्ना	जल प्रदाय योजना	1808.37
25.	नगर पालिका आष्टा	जल प्रदाय योजना	980.40

26.	नगर पंचायत नरूल्लागंज	जल प्रदाय योजना	488.96
27.	नगर पालिका होशंगाबाद	जल प्रदाय योजना	1615.26
28.	नगर पालिका आगर	जल प्रदाय योजना	1005.80
29.	नगर निगम ग्वालियर	सीवरेज योजना	6650.00
30.	नगर पालिका शाजापुर	जल प्रदाय योजना	996.00
31.	नगर पालिका हरदा	जल प्रदाय योजना	1787.00
32.	नगर निगम सागर	सीवरेज योजना	7661.55
33.	नगर निगम कटनी	जल प्रदाय योजना	4080.95
34.	पांढुरना	जल प्रदाय योजना	6443.79
35.	छिन्दवाडा	जल प्रदाय योजना	5732.87
36.	डोंगरपरासिया	जल प्रदाय योजना	3013.33
37.	सौंसर	जल प्रदाय योजना	1930.22
38.	पिपरिया	जल प्रदाय योजना	2408.11
39.	बैतूल	जल प्रदाय योजना	3262.07
40.	खुरई	जल प्रदाय योजना	3662.82
41.	पिपल्यानारायणवार	जल प्रदाय योजना	81.20
42.	चौरई	जल प्रदाय योजना	886.38
		योग	**107653.69**

परिशिष्ट–आठ

हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की अद्यतन स्थिति का विवरण दिनांक 31.01.2012 पर

क्र.	जिला	पंजीबद्ध साईकिल रिक्शा चालक	पंजीबद्ध हाथठेला चालक	कुल साईकिल रिक्शा एवं हाथठेला चालक	उपलब्धि		
					साईकिल रिक्शा चालक	हाथठेला चालक	कुल साईकिल रिक्शा एवं हाथठेला चालक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुरैना	445	2005	2450	266	669	935
2	श्योपुर	0	353	353	0	347	347
3	भिण्ड	322	1357	1679	130	405	535
4	ग्वालियर	266	8095	8361	72	931	1003
5	शिवपुरी	0	1300	1300	0	513	513
6	गुना	26	645	671	26	497	523
7	अशोकनगर	0	830	830	0	675	675
8	दतिया	26	670	696	13	442	455
9	भोपाल	0	13906	13906	0	2779	2779
10	सीहोर	0	1071	1071	0	658	658
11	राजगढ़	2	1532	1534	0	789	789
12	विदिशा	279	852	1131	279	852	1131
13	रायसेन	0	618	618	0	450	450
14	बैतूल	39	461	500	19	215	234
15	होशंगाबाद	148	1635	1783	61	430	491
16	हरदा	2	631	633	0	308	308
17	इंदौर	0	3667	3667	0	614	614
18	धार	1	1279	1280	1	732	733
19	खरगौन	0	1128	1128	0	998	998
20	बड़वानी	0	1381	1381	0	543	543
21	खण्डवा	0	615	615	0	429	429
22	बुरहानपुर	0	1118	1118	0	1023	1023
23	झाबुआ	0	303	303	0	114	114
24	अलीराजपुर	1	135	136	1	97	98
25	उज्जैन	210	1666	1876	87	484	571
26	रतलाम	0	1311	1311	0	766	766
27	देवास	0	1038	1038	0	659	659

28	मंदसौर	0	1326	1326	0	280	280
29	नीमच	0	1100	1100	0	688	688
30	शाजापुर	0	853	853	0	540	540
31	सागर	177	1811	1988	48	934	982
32	पन्ना	68	331	399	35	176	211
33	टीकमगढ़	66	603	669	35	442	477
34	दमोह	405	745	1150	121	331	452
35	छतरपुर	281	447	728	233	434	667
36	जबलपुर	6406	7571	13977	1021	1706	2727
37	कटनी	344	319	663	302	82	384
38	मण्डला	237	461	698	147	201	348
39	डिण्डोरी	0	235	235	0	83	83
40	नरसिंहपुर	128	660	788	112	517	629
41	बालाघाट	270	368	638	206	290	496
42	छिंदवाड़ा	906	1316	2222	290	533	823
43	सिवनी	587	260	847	259	75	334
44	रीवा	873	1103	1976	226	254	480
45	शहडोल	385	274	659	93	144	237
46	उमरिया	68	144	212	53	120	173
47	अनूपपुर	24	190	214	22	168	190
48	सीधी	211	300	511	113	132	245
49	सिंगरौली	21	183	204	0	109	109
50	सतना	805	563	1368	297	175	472
	योग :–	**14029**	**70765**	**84794**	**4568**	**25833**	**30401**

परिशिष्ट–नौ

''परियोजना उदय'' के अंतर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्रं0	शहर	कार्य	विवरण
1	**भोपाल**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	भोपाल में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य अंर्तगत विद्यमान 7 जल शोधन संयंत्र तथा 7 पम्पिंग स्टेशनों के पुर्नरोद्वार का कार्य, जल मात्रा की गणना हेतु 16 बल्क मीटर, 1984 बल्क कंज्यूमर मीटर की स्थापना, 5 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों तथा 02 सतही पानी की टंकी का निर्माण तथा 221 कि.मी. जल वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है। 110 से 1200 मि. मी. व्यास का 238 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाना तथा 1000 मि. मी. व्यास का 6.81 कि.मी. फोर्स मेन, एक सीवेज सम्पवेल का निर्माण, सीवेज उपचार उपरान्त 2.5 कि.मी. चैनल तथा रोड बनाना आदि के कार्य किया जाना ।
		भौतिक प्रगति 31.12.2011	इन सभी कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत है। भोपाल में 3 बल्क मीटर व 1908 बल्क कंज्यूमर मीटर लगाने का कार्य, 5 रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन, 2 शुद्ध जल पम्पिग स्टेशन में 18 नवीन पम्प स्थापित किये गये जिससे बिजली खपत की कमी होगी, 219 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 6.81 कि.मी. फोर्स मेन बिछाना, 5 उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण, एवं 02 सतही पानी की टंकी का निर्माण 217.03 कि.मी. सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर वर्तमान तक लगभग रू. 128.91 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
2	**ग्वालियर**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ग्वालियर में जलप्रदाय व्यवस्था के कार्य में 2 जल शोधन संयंत्र, 2 पम्प हाउसों के पुनरोद्वार का कार्य, 45 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेक वेल एवं जल शोधन संयंत्र का कार्य, 48 कि.मी. पम्पिंगमैन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 25 बल्क मीटर, 1088 बल्क कंज्यूमर मीटर की स्थापना, 11 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों तथा 4 सतही पानी की टंकियों का निर्माण, तथा 306.78 कि.मी. जल वितरण प्रणाली को विछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है। इन सभी कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत है।
		भौतिक प्रगति 31.12.2011	ग्वालियर में 25 बल्क मीटर व 1075 बल्क कंज्यूमर मीटर स्थापित करना, 2 जल शुद्धिकरण संयन्त्र तथा 2 शुद्धजल पम्पिंग स्टेशनों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया गया। 306 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर वर्तमान तक लगभग रू. 81.64 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
3	**इन्दौर**	जलप्रदाय / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	इन्दौर में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य में विद्यमान 1 जल शोधन संयंत्र तथा 6 पम्पिंग स्टेशनों के पुर्नरोद्वार का कार्य, 900 एम.एल.डी. इनटेक का निर्माण, 360 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र तथा 3 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, 24 किमी. पम्पिंगमैन तथा 121.95 किमी. ग्रेव्हीटी मैन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 76 मीटर की स्थापना तथा 21 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण किया जाना है। 655 कि.मी. जल वितरण नलिकाये बिछाने का कार्य किया जा रहा है।
		भौतिक प्रगति	इन्दौर में बल्क मीटर, घरेलू उपभोक्ता मीटर तथा वोल्टमेन टाईप कुल 76 मीटर स्थापित किये जाने, यशवंत सागर जलशोधन संयन्त्र

		31.12.2011	का जीर्णोद्धार कार्य, 900 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल तथा 360 एम.एल.डी क्षमता का जल शुद्धिकरण संयन्त्र का निर्माण कार्य, 19 उच्चस्तरीय टंकियो का निर्माण कार्य, 132 कि.मी. की रॉवाटर मेन तथा क्लिअर वाटर मेन व 452.45 कि.मी. जल वितरण मेन को बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर वर्तमान तक लगभग रू. 547.60 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
4	**जबलपुर**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	जबलपुर में परियट टैंक के स्पिल चैनल के सुदृढीकरण का कार्य करना, 220 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल तथा 120 एम.एल. डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 3.165 कि.मी. लम्बाई की रॉ वाटर पम्पिंगमैन, जल मात्रा की गणना हेतु 58 बल्क मीटर, 618 बल्क कंज्यूमर मीटर की स्थापना, 7 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण, तथा 585.68 कि.मी. जल वितरण प्रणाली को विछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है। जल मल निकासीः 215 कि.मी. सीवर नेटवर्क विछाना 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाट का निर्माण कार्य करना है।
		भौतिक प्रगति 31.12.2011	जबलपुर में 8 बल्क मीटर तथा 527 उपभोक्ता मीटर स्थापित करना, परियट डेम का जीर्णोद्धार कार्य, 551.15 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य तथा 72 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाने तथा 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाट का कार्य पूर्ण किया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर वर्तमान तक लगभग रू. 166.17 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

परिशिष्ट– दस

मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अन्तर्गत संपन्न कार्य

1.	**ई–गवर्नेंस**	1. इन्दौर/ग्वालियर/उज्जैन नगर निगमों में ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमीशन अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) लागू किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत सभी भवनों के अनुज्ञा नक्शों की स्वीकृति कम्प्यूटर द्वारा जारी की जायेगी। इन्दौर नगर पालिक निगम में यह प्रणाली मार्च 2011 से प्रारंभ की जा चुकी है।
		2. भोपाल नगर निगम के अंतर्गत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। इस परियोजना के अंतर्गत नगर निगम के सभी विभागों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है। इसके लागू होने के पश्चात् नागरिक अपने करों का ऑनलाईन भुगतान कर सकेंगे।
		3. इस गतिविधि के तहत् नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, संभागीय कार्यालयों एवं 4 नगरपालिक निगमों को कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराये गये तथा 500 कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
		4. चार नगर निगमों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मानचित्रों की सहायता से संपत्तियों का डेटाबेस तैयार करने व संपत्तिकर एवं अन्य सेवा संदाय प्रणालियों के एकीकरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
		5. क्षेत्रीय स्तर पर संपर्क हेतु 1000 ई – मेल पतों के साथ विभाग की इंटरेक्टिव वेबसाईट का निर्माण किया गया है।
2.	**नगरपालिक सुधार**	1. नगरपालिक सुधार हेतु प्रदेश के महानगरों के 4 नगरपालिक निगमों में 16 नागरिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना की पहल की गई है जिनके माध्यम से नागरिकों को एक ही छत के नीचे समस्त कार्यों से जुड़ी जानकारी व कर भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में प्रदेश के 3 नगर निगमों में 9 नागरिक सुविधा केन्द्र प्रारंभ हो गये हैं।
		2. एमपी ऑनलाईन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाऐं प्रदान करने हेतु 10 नगरपालिक निगमों की संपत्तिकर, जलकर, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी का डिजिटाईजेशन एवं ऑनलाईन भुगतान सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य भी परियोजना के तहत किये गये।
		3. वाहन संसूचन एवं प्रबन्धन प्रणाली (VTMS) भोपाल एवं जबलपुर नगरपालिक निगमों में लागू किये जाने संबंधी कार्य प्रारंभ किये गये हैं, जिन्हें भविष्य में अन्य निगमों में भी लागू किया जा सकेगा।
		4. नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण हेतु विभाग के समस्त 14 नगर निगमों को मध्यप्रदेश शासन के टेली समाधान कॉलसेन्टर से जोड़ा जा चुका है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक नगर निगम से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 155343 पर कर सकता है।
		5. जी.आई.एस.–फेज 2 के अंतर्गत – राजस्व में वृद्धि एवं निकायों की परिसंपत्तियों के मानचित्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, ताकि संपत्तिकर प्रणाली को वास्तविकता आधारित बनाकर राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

3.	**वित्तीय सुधार**	1. भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगरों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर संपत्ति के अभिलेखों को अद्यतन करने, लेखा एवं वित्तीय नियम निर्मित करने, संपत्तिकर, उपभोक्ता शुल्कों सेवा प्रभार के युक्तियुक्तकरण हेतु मापदण्ड तय कर उन्हें लागू करने व निगमों के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु आदर्श प्रक्रियाओं का मैनुअल तैयार कराया गया ।
		2. भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों में लेखा सुधार प्रणाली की स्थापना के तहत 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंश शीट तैयार की जा चुकी है, तथा अन्य निकाय भी इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं।
		3. इन निकायों को वर्ष 2009 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंश शीट तैयार करने हेतु नियमित रूप से तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
4.	**सामाजिक विकास**	1. 14 नगर निगमों की 129 बस्तियों के अधोसंरचना विकास में 1446 रेसीडेंट कम्यूनिटी वालेयन्टियर (आरसीवी) द्वारा सूक्ष्म नियोजन ।
		2. 129 बस्तियों में से 109 बस्ती में गठन एवं पंजीयन।
		3. इन्दौर नगर निगम में मलिन बस्तियों में समाजिक अर्थिक सर्वेक्षण संपूर्ण ।
5.	**मलिन बस्ती विकास**	1. इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गरीब बस्ती क्षेत्रों के परिवेश को निवास योग्य बनाकर बस्ती के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रथम चरण के चार शहरों की कुल 220 बस्तियों का पुनरूद्धार करने का लक्ष्य है।
6.	**नगरीय सु–शासन हेतु पहल**	1. 13वें वित्त आयोग द्वारा चाहे अनुसार प्रदेश के 14 नगर निगमों एवं 96 नगर पालिका परिषदों द्वारा नगरों में दी जा रही जलापूर्ति,सीवरेज,जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के वर्तमान स्तर एवं आगामी वर्ष के लक्ष्यों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर केन्द्र शासन के प्रारूप में जानकारी का राजपत्र में प्रकाशन कराया गया। 14 नगर निगमों के इन्फ्रामेशन सिस्टम इम्प्रुवमेन्ट प्लान (आईएसआईपी) एवं परफारमेन्स इम्प्रुवमेन्ट प्लान (पीआईपी) तैयार किये जा रहे हैं ।
		2. विभाग के लिये एकीकृत मानक दर सूची (आईएसएसआर) तैयार किया जा चुका है। अंगीकरण की कार्यवाही प्रचालित है।
		3. नगरपालिक निगमों में सेवा शर्त नियमों को युक्तिसंगत बनाने व नये सिरे से निगमों के विभागों के पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु संशोधन प्रस्तावित हैं।
		4. जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था व प्रणाली के विकास हेतु कार्यक्रमों के प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रबन्धन, नस्ती प्रबन्धन प्रणालियों के विकास की कार्यवाही क्रियान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस पहल के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं।
		5. नगर विकास योजना एवं जोनल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही भी की जा रही है। 10 शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत योजनाओं के चयन एवं उनके क्रियान्वयन हेतु एजेन्सी चयन की कार्यवाही प्रचलित है।
		6. सुशासन हेतु किये गये प्रयासों के परिणामों के रूप में हुए कार्यों में गंदी बस्तियों की अधिसूचना संबंधी नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का आरंभ उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं।